

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले—आउट प्लान) की 197 वी बैठक दिनांक 26.07.2013 को, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लियो:-

1. श्री विष्णुचरण मलिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लंबग शर्मा, निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती नलिनी कटोतिया, अति. आयुक्त (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक/सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक,(एमपी) व बीपीसी(एलपी) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री प्रवीण, उपायुक्त, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री केसर लाल मीणा, उपायुक्त, जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री संजय जैन, उपायुक्त, जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री हरीन्द्र सिंह, उपायुक्त, जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री अवधेश सिंह, उपायुक्त, जोन-14, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री मृणाल जोशी, उपायुक्त, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री भरत लाल माली, हायक नगर नियोजक, जोन-14 जविप्रा, जयपुर।
9. श्रीमती ऊषा जैन, संक निदेशक (जनसंरक्षण अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा संख्या—1

197 / 26.07.2013

विषय :- बीपीसी(एलपी) बैठक क्रमांक 196वी बैठक दिनांक 19.07.2013 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के सम्बन्ध में।

बी.पी.सी.(एल.पी.) की 197 वी प्रश्नगत बैठक के आयोजन के समय, बीपीसी (एल.पी.) की 196 वी बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि हेतु प्रक्रियाधीन थे। इस बैठक के कार्यवाही विवरण क्रमांक: जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.)/बीपीसी/2013/डी-178 दिनांक 30.07.2013 को जारी किये जा चुके हैं।

एजेण्डा संख्या-2

197 / 26.07.2013 (मा.प्लान)

विषय :— सेक्टर प्लान के प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि सेक्टर प्लान्स की प्रगति रिपोर्ट को तालिका में दर्शाया जावे। सेक्टर प्लान्स में 80 फीट व इससे ज्यादा चौड़ाई वाली सेक्टर सड़कों पर जविप्रा के आदेश क्रमांक: जविप्रा/अआ/पूर्व/पुनर्वास/2003/ठी-210 दिनांक 31.03.04 के अनुसार सेक्टर कॉमर्शियल दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-3

197 / 26.07.2013 (जोन-7)

विषय :— शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना चांदबिहारी नगर के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि चांद बिहारी योजना 17.06.99 से पूर्व बसी हुई है, जो कि अनुमोदित सेक्टर 13 व 14 में स्थित है। इस योजना में मास्टर विकास योजना-2025 व सेक्टर 13, 14 की प्रस्तावित 100 फीट सड़क के संबंध में कॉलोनी वासियों द्वारा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, न.वि.वि, राजस्थान व अति. मुख्य सचिव वि.वि. राजस्थान को सड़क की चौड़ाई कम कर मौके के अनुसार सड़क की चौड़ाई का यथा स्थिति मानते हुए भूखण्डों के नियमन किये जाने के संबंध में ज्ञापन दिये गये थे। इस सड़क के संबंध में वन्धित जनप्रतिनिधि व कॉलोनीवासियों को सड़क की चौड़ाई के संबंध में सुना गया। इस सड़क के संबंध में बैठक के दौरान माननीय पर्षद श्रीमती मोहिनी कंवर ने भी पत्र के साथ अपना पद्ध व सहमति पत्र प्रस्तुत किया। सड़क की चौड़ाई अपलब्ध नहीं होने से राज्य सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत खण्डों का नियमन संभव नहीं हो पा रहा था। मौके पर सघन निर्माण होने के कारण इसको 100' बनाया जाना संभव नहीं है, परन्तु शेष भाग में अधिक चौड़ाई अपलब्ध होने पर सड़क 100' ही रहेगी।

प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि यह सड़क खातीपुरा सड़क पर मिलती है, जिस पर आवागमन व बढ़ते यातायात के मध्येनजर सड़क का मार्गाधिकार 30'-35' ना रखकर इसे के-5. योजना के बाद केवल चांद बिहारी योजना में 60 फीट रखे जाने पर जोन द्वारा आम जनता से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जावे।

—३७—

एजेण्डा संख्या—4

197 / 26.07.2013 (जोन—9)

विषय :— भूखण्ड संख्या 9, 10, 11, 12 योजना द्वारकापुरी (निजी खातेदार) के पुनर्गठन के अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि द्वारकापुरी योजना के भूखण्ड सं. 9, 10, 11 व 12 का आवासीय (फ्लेट्स) उपयोग हेतु भूखण्डों का पुनर्गठन स्वीकृत किया गया।

चारों भूखण्डों का पुनर्गठित क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक 1802.86 वर्ग गज है, जो कि राज्य सरकार की सक्षमता के अधीन होने के कारण राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति लेने हेतु प्रेषित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या—5

197 / 26.07.2013 (जोन—9)

विषय :— राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में प्रस्तावित 200 फीट सड़क के एलाइनमेंट में आंशिक परिवर्तन बाबत्।

राजीव गांधी नगर आवासीय योजना क्षेत्र के 90 वीं दिनांक 09.12.2002 में की गई थी। प्रश्नगत क्षेत्र सेक्टर 36 में स्थित है। इस सेक्टर का अनुमोदन बीपीसी (एल.पी.) की 53 वीं बैठक दिनांक 30.07.2003 में किया गया था। राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में दर्शाई गई प्रस्तावित 200 फीट चौड़ी सड़क एवं सेक्टर प्लान की सड़क का मिलान नहीं होने के कारण आंशिक परिवर्तन हेतु बीपीसी (एल.पी.) की 179 वीं बैठक दिनांक 28.08.2012 में रखा गया, जिसमें इसके परीक्षण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की समिति का गठन किया गया। इस संबंध में समिति द्वारा आंशिक संशोधन हेतु दो विकल्प प्रस्तुत किये गये, जिसमें सेक्टर कॉमर्शियल सड़क के दोनों ओर नहीं दर्शाया गया, जिसे दर्शाया जाना है।

प्रश्नगत प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि राजीव गांधी नगर योजना व इसके विस्तार योजना में भूखण्डों के स्वामित्व का परीक्षण कर एवं योजना के अनुमोदन हेतु आवेदन किस वर्ष विया गया था, इसका विस्तृत विवरण उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत किया जावे। यह 200फीट सेक्टर रोड किस खातेदार की भूमि व किस खसरे में से जाती है, इसके सम्पूर्ण तथ्यों का भी जोन उपायुक्त द्वारा परीक्षण किया जावे।

—४—

एजेण्डा संख्या-6

197 / 26.07.2013 (जौन-11)

विषय :— निजी खातेदारी/विकासकर्ता राज विद्या केन्द्र की योगा व मेडीटेशन सेंटर एवं नेच्यूरल थेरेपी के अनुमोदन के संबंध में।

राज विद्या केन्द्र में प्रश्नगत भूमि का कुल क्षेत्रफल 3 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण मा.वि.यो.-2025 के अनुसार भूखण्ड में से 9 मीटर चौड़ी सड़क देने का प्रावधान है, ताकि समीप के एवं पृष्ठक्षेत्र (हिन्टरलैण्ड) को भी एप्रोच रोड मिल सकें।

आवेदित भूमि के उत्तर दिशा एवं दक्षिण दिशा में ड्राफ्ट सेक्टर प्लान-81 की प्रस्तावित 30 मी. रोड है व पूर्व में 18 मी. प्रस्तावित सेक्टर रोड है। शेष दिशा में भूमि Zig Zagged खसरे होने के कारण इस दिशा में 9 मी. चौड़ी सड़क देने में छूट चाही गई है, जिसे विचार विमर्श पश्चात् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी उक्त भूमि में से मास्टर विकास योजना-2025 की प्रस्तावित सड़क पर उत्तर-पूर्व में दर्शित 5 प्रतिशत जविप्रा हेतु प्रस्तावित भूमि मुख्य सड़क पर नियमानुसार समर्पित करेगा। उक्त संस्थागत भूमि पर कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी उक्त भूमि को योगा व मेडीटेशन सेंटर एवं नेच्यूरल थेरेपी केन्द्र उपयोग में ही रखेगा। प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर से अधिक 142900.07 वर्ग मीटर है, जो कि राज्य सरकार की सक्षमता के अधीन होने के कारण राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

इस क्षेत्र के प्रतिविधीन प्रारूप सेक्टर प्लान-81 में प्रस्तावित 80 फीट व इससे अधिक चौड़ी सरकारी पर सेक्टर कॉर्मर्शियल व्याये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-7

197 / 26.07.2013 (जौन-12)

विषय :— निजी खातेदारी योजना ओ.के.प्लस एंजोटिका ग्राम मॉचवा तहसील जयपुर में अनुमोदित फैसिलिटी ऐरिया के एन्डयूज (end-use) निर्धारित करने के संबंध में।

ओ.के. प्लस एंजोटिका आवासीय योजना मे न.वि.वि. के आदेश के क्रम में सुविधा क्षेत्र को क्लब - हाउस, क्लब गार्डन, हॉस्पिटल, विद्यालय व गार्डन हेतु पुनः आवंटन करने के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यह क्लब हाउस व इससे जुड़ते हुए क्लब गार्डन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 505.46 व.ग. को क्लब हाउस में शामिल करते हुए कुल 2294.34 व.ग. को कम्यूनिटी क्लब हेतु एण्ड यूज निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

मा.वि.या.-2025 के मानदण्डों के अनुसार हॉस्पिटल के स्थान पर नर्सिंग होम, विद्यालय के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय व पार्क को यथावत रखने का निर्णय लिया गया। भूखण्डों का आवंटन बीपीसी (एल.पी.) के स्तर पर नहीं किया जा सकता है। अतः इसके आवंटन हेतु प्रकरण अलग से एल.पी.सी. के समक्ष रखा जावे।

एजेण्डा संख्या-8

197 / 26.07.2013 (जोन-13)

विषय :- श्री कृष्ण कृपा हाउसिंग प्रा.लि. द्वारा ग्राम निमेडा तह. जयपुर के ख.नं. 241/3 श.न. 242/3, 408/3, 409/3, 241/4, श.न. 242/4, 408/4, 401/4 कुल किता 8 कुल रकबा 4 बीघा 10 बिरुग भूमि में योजना अनुमोदन एवं सेक्टर रोड की स्थिति परिवर्तन के संबंध में।

श्री कृष्ण कृपा हाउसिंग प्रा.लि. का 60 फीट सेक्टर रोड में परिवर्तन के संबंध में प्रकरण पूर्व में बीपीसी (एल.पी.) की 193 वीं बैठक दिनांक 17.05.2013 में रखा गया। प्रकरण पुनः विचार विमर्श हेतु समिति के समक्ष रखा गया व निर्णय लिया गया कि गैस पाईप लाईन के सहारे-सहारे सड़क प्रस्तावित किये जाने की सम्भावनाओं का परीक्षण किये जाने हेतु सेक्टर 63 में दर्शाई गई गैस पाईप लाईन के आस पास के क्षेत्र का टी.एस. सर्वे जैसे द्वारा 2 सप्ताह में करवाया जावे। तत्पश्चात् जोन द्वारा इस क्षेत्र में की गई 90 बी/अनुमोदित योजना/निजी खातेदारी की योजना तो प्रभावित नहीं हो रही है। इन सबका परीक्षण कर पूर्ण विवरण सहित एजेण्डा 9 जोन-सी. (एल.पी.) के सम्मुख प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या-9

197 / 26.07.2013 (जोन-14)

विषय :- ग्राम मथुरावाल तहसील सांगानेर के ख.नं. 212/1 कुल रकबा 0.62 हैक्ट. भूमि पर ग्रुप हाउसिंग योजना का मानचित्र अनुमोदन के क्रम में जविप्रा के सेक्टर 50 में प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सेक्टर रोड का एलाइमेंट परिवर्तन के संबंध में।

ग्राम मथुरावाला तहसील सांगानेर की आवेदित भूमि सेक्टर 50 में स्थित हैं व उक्त क्षेत्र के आंशिक भाग को उत्तर दिशा में प्रभावित करती हुई 60 फीट चौड़ी सेक्टर रोड गुजरती है। सेक्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी रोड में घुमाव है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित 60 फीट सेक्टर स्थिति के अनुसार सड़क के एलाइमेंट में परिवर्तन के लिए आवेदन किया गया है।

— क्रीमा —

प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत सेक्टर रोड एलाइमेंट/घुमाव से प्रभावित भूमियों का स्वामित्व किन खातेदारों का हैं, इसकी जाँच जोन उपायुक्त द्वारा की जाकर बी.पी.सी. (एल.पी.) के समक्ष रखा जावे।

एजेण्डा संख्या—10

197 / 26.07.2013 (जोन—14)

विषय :— मै. अलाईड लैण्डमार्क (इण्डिया) प्रा.लि. जरिये निदेशक सौरभ केड़िया पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार केड़िया, रजिस्टर्ड कार्यालय ए—14, 15 श्याम नगर, नाडी का फाटक बैनाड़ रोड, झोटवाडा जयपुर द्वारा राजस्व ग्राम पहाड़िया तह.फागी की कुल रकबा 49 बीघा 6 बिस्वा भूमि क्षेत्र पर आवासीय योजना गालाजी ग्रीन्स का मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

गालाजी ग्रीन्स आवासीय योजना मास्टर विकास योजना—2025 के यू—2 क्षेत्र में है। आवेदित भूमि की 90 ए की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है व मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष रखा गया। उक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से टाउनशिप पॉलिसी—2010 के प्रावधानों व मानदण्डों के अनुसार संशोधित मानचित्र लिया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

12/07/2013
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति 12-8-13
(ले—आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.)/बीपीरी/2013/डी—180

दिनांक: 12/08/2013

प्रतिलिपि:—

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व)/पश्चिम/एलपीसी/भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. अति. मुख्य नगर नियोजक (एमपी.), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त, जोन—.....जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, जनसंपर्क, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
9. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

12/08/2013
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति 12-8-13
(ले—आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

12/08/2013